न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – कैलाशचन्द्र शर्मा, आर.ए.एस.

आवेदनपत्र संख्या 100/2016
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

सुभाषचन्द्र आत्मजन श्री काशीराम, नायक, गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.....आवेदक

बनाम

1. सुगनाराम आत्मज श्री बनवारीलाल, चक 2 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं
2. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर.

.....अनावेदकगण

उपस्थिति– श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़ (आवेदक)
श्री राजाराम बिश्नोई (अनावेदक)

दिनांक 23 जनवरी, 2017

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 4 एफ बड़ा तहसील जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 18 किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.325 हैक्टर कृषि भूमि श्री सुरताराम आत्मज श्री नत्थूराम के नाम पर पुर्नवास विभाग, भारत सरकार द्वारा आवटित की गयी जिसकी सनद दिनांक 24 मार्च, 1981 को श्री सुरताराम की मृत्योपरान्त उनके वारिसान के नाम पर जारी की जाकर राजस्व अभिलेखों में खातेदारी दर्ज की गयी. जिसमें से श्रीमती गुड्डी एवं श्रीमती कमला द्वारा अपना 0.351 हैक्टर हिस्सा कृषि भूमि का आवेदक को विकय कर दिया गया जिसका भी राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज हो चुका है. आवेदक को उक्त कृषि भूमि के अन्य खातेदार श्री भूराराम एवं श्री सूरताराम द्वारा अपने हिस्सा की चक 4 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 18 में 0.14 बीघा कृषि भूमि का विकय इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014 द्वारा किया जाकर विकयाधीन कृषि भूमि का कब्जा मौका पर दे दिया गया. जिसके आधार पर आवेदक चक 4 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 18 में 0.14 बीघा पर शान्तिपूवर्क काबिज होकर काश्त की जा रही है. लगान, पानी की पर्चियां आवेदक के नाम पर है. जिस पर भूराराम द्वारा कभी कोई आपत्ति नहीं की गयी. इसलिये उसे प्रतिपक्षकार नहीं बनाया गया है. अनावेदक संख्या 1 लालचवश गांव में एलानिया कथन करता है कि आवेदक को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करेगा. इस प्रकार आवेदक द्वारा चक 4 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 18 के राजस्व अभिलेखानुसार उसकी खातेदारी 0.351 हैक्टर एवं कयाधीन 0.14 बीघा कृषि भूमि में अनावेदक संख्या 1 द्वारा किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने, बंधक, विकय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

एवं जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

अनावेदक संख्या 1 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित तथा अनावेदक संख्या 2 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

अनावेदक संख्या 1 की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 2 दिसम्बर, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार आवंटी श्रीमती पारा आत्मजा श्री सुरताराम धर्मपत्नी श्री सुरजाराम द्वारा अपने जीवनकाल में साक्षीगणों के समक्ष दिनांक 15 दिसम्बर, 1997 को चक 4 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 18 में अपने हिस्सा में से 4.3½ बीघा की वसीयत निष्पादित की गयी. अनावेदक संख्या 1 श्रीमती पारां का सगा दोहिता है. श्रीमती पारां की दिनांक 5 अप्रेल, 1998 को मृत्योपरान्त श्रीमती पारांदेवी की खातेदारी कृषि भूमि चक 4 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 18 में 4.3½ बीघा का अनावेदक संख्या 1 खातेदार काश्तकार है. श्री भूराराम को श्रीमती पारो एवं श्री सुरताराम की कृषि भूमि में से 0.14 बीघा कृषि भूमि नही आती क्योकि श्रीमती पारों द्वारा अपने हिस्सा में से 4.3½ बीघा कृषि भूमि की वसीयत अनावेदक संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित की गयी थी. इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014 से आवेदक को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं. श्री भूराराम को वाद का पक्षकार नहीं बनाया गया, इसलिये तथाकथित इकरारनामा से आवेदक को कोई अधिकार सृजित नहीं होते हैं व न ही आवेदक का प्रश्नगत कयाधीन कृषि भूमि पर कब्जा ही है. आवेदक को इस तथ्य की पूरी पूरी जानकारी है कि वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही उप तहसीलदार, हिन्दूमलकोट के समक्ष विचाराधीन है इसलिये इस कार्यवाही को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से ही आवेदक द्वारा श्रीमती गुड्डी, श्रीमती कमला एवं श्री भूराराम आत्मजन श्रीमती पारां के साथ साजबाज करके सरपंच, ग्राम पंचायत, कोनी से विरासतन नामान्तरकरण करवा लिया. जिसके विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील दिनांक 31 जनवरी, 2014 को निरस्त कर दिया गया है. इसलिये आवेदक द्वारा श्रीमती गुड्डी, श्रीमती कमला एवं श्री भूराराम से कथित इकरारनामा करवाया गया है जिससे आवेदक को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुऐ हैं. श्रीमती पारोंदेवी के हिस्सा की 4.3½ बीघा कृषि भूमि वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है जिसके अनुसार अनावेदक संख्या 1 प्रश्नगत कृषि भूमि का खातेदार एवं काश्तकारी है. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

अनावेदक संख्या 2 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब आवेदनपत्र दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन प्रकरण में राज्यपक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु महत्वपूर्ण तीनों बिन्दुओं कमशः प्रथमदृष्टया वादकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति की विवेचना की गयी.

चक 4 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 18 में 0.14 बीघा कृषि भूमि का कय इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014 द्वारा किये जाने के तथ्य प्रस्तुत किये गये है. किन्तु इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014 के अनुसार विकय विलेख के निष्पादन एवं पंजीकरण के लिये दिनांक 10 अप्रेल, 2015 को करवाये जाने का निशिचित किया गया है अन्यथा शेष विकय प्रतिफल राशि सक्षम न्यायालय में जमा करवाकर विकय विलेख पंजीबद्व करवाने के तथ्य भी अंकित किये गये हैं किन्तु आवेदक द्वारा इस आशय का कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह तथ्य स्पष्ट होता हो कि केता–आवेदक द्वारा इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014 की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत किया हो. इसके साथ ही इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014 में यह तथ्य भी अंकित किया गया है कि विकेता द्वारा अपने हिस्सा के रकबा का कब्जा मय पानी दिनांक 13 अप्रेल, 2014 को ही दिया जावेगा. जिसके परिपेक्ष्य में भी, आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 24 फरवरी, 2014 के पृष्ठ भाग पर ऐसा कोई अंकन नहीं है कि विकयाधीन कृषि भूमि का कब्जा केता–आवेदक को निर्धारित तिथि दिनांक 13 अप्रेल, 2014 को दे दिया गया हो. इसी प्रकार, आवेदक के नाम पर विकय विलेख के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण को यद्यपि सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द किया जाकर विरासतन नामान्तकरण दर्ज हो चुका है. किन्तु चक 4 एफ बड़ा तहसील जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 18 किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.325 हैक्टर कृषि भूमि में से 0.351 हैक्टर कृषि भूमि पर आवेदक का कब्जा है जिसे विधि विरूद्व के अनुसार बेदखल नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिति चक 4 एफ बड़ा तहसील जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 18 किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.325 हैक्टर कृषि भूमि में से 0.351 हैक्टर कृषि भूमि की बाबत ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति का बिन्दु आवेदक के पक्ष में पाया जाता है.

अतः आवेदनपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण, मूल वाद के निस्तारण तक, चक 4 एफ बड़ा तहसील जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 18 किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.325 हैक्टर कृषि भूमि में से 0.351 हैक्टर कृषि भूमि पर वादी के कब्जा में विधि विरूद्व हस्तक्षेप करने से निषिद्व रहें.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 23 जनवरी, 2017 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(कैलाशचन्द्र शर्मा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर